



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 156]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 12 मार्च 2018—फाल्गुन 21, शक 1939

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2018

अधि. क्र. 10-एफ-1-14-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित नगर परिषद में वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक के लिए उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को पार्षद के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है:—

स. क्र.	जिले का नाम	क्र.	नगर परिषद का नाम	क्र.	नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला—उज्जैन					
1	उज्जैन	1	तराना	1	श्री ओमप्रकाश पिता श्री बाबूलाल वर्मा, काजी चौक शुक्ला गली, वार्ड न. 06, तराना.
जिला—बालाघाट					
2	बालाघाट	1	बैहर	1	श्री लोकेश साहू श्री मुकुंदीलाल साहू, वार्ड क्र. 7, बैहर.
				2	श्रीमती लीला गोस्वामी श्री हरिशंकर गोस्वामी, वार्ड क्र. 06, बैहर.
जिला—रत्नाम					
3	रत्नाम	1	सैलाना	1	श्री शंकरलाल कसेरा श्री रत्नलाल कसेरा, दिलीप मार्ग सैलाना.
				2	श्री रवि शर्मा श्री शांतिलाल शर्मा, रंगवाड़ी मोहल्ला सैलाना.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला—सिवनी					
4	सिवनी	1	लखनादौन	1	श्री प्रकाश कुमार सोनी पिता श्री रोशनलाल सोनी, वार्ड क्र. 15, लखनादौन.
जिला—खण्डवा					
5		1	छनेरा	1	श्री गौरीशंकर टाले स्व. श्री आत्माराम टाले, वार्ड नं. 5, नया हरसूद, जिला खण्डवा.
		2		2	श्री कपूरचंद कुमरावत श्री गुलाब चंद कुमरावत, वार्ड नं. 8, मेनरोड छनेरा, जिला खण्डवा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, उपसचिव.